न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 382/2015

वादीया :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. सीतादेवी पत्नी झूंगरराम
   जाति-मेघवाल, उम्र-52
   निवासी-पालियावास
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. टोडाराम पुत्र हजारी
2. गीता पुत्री हजारी
3. भंवराई पत्नि रमजी
4. केसूराम पुत्र रमजी
5. अशोक पुत्र रमजी
6. महेन्द्र पुत्र रमजी
7. संतोष पुत्री रमजी
8. कान्ता पुत्री रमजी
9. घेवरी पुत्री रमजी
10. मतूडी पुत्री रमजी
11. मुन्नी पुत्री रमजी
12. सकुडी पत्नि प्रभू
13. नौरत पुत्र प्रभू
14. रमेश पुत्र प्रभू
15. तारा पुत्री प्रभू
16. गौमती पुत्री प्रभू
17. शारदा पुत्री प्रभू

प्रतिवादीगण केसूराम, अशोक, महेन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भंवराई पत्नि रमजी जातियान-रेगर,निवासीगण-कुड़की तहसील-जैतारण, जिला-पाली

18. तहसीलदार जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 136 तारीख रजू:.20.07.2015

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/12/2015

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-कुडकी, पटवार हल्का-कुडकी तहसील-जैतारण में हजारी पुत्र किशना जाति-रेगर की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 5-13 बीघा, किस्म बारानी अव्वल की आई हुई थी। इस भूमि के खातेदारी हजारी ने अपनी व अपने परिवार की जायज जरूरत हेतु उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के वादीया को बेचान कर दी तथा प्रतिफल की हजारी ने वादीया से राशि लेते हुए दिनांक 20/11/2006 को वादीयां के पक्ष में पंजीबद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बेचान नामा उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पर पंजीबद्ध करवा दिया था एवं इस भूमि का मौके पर कब्जा भी वादीया को सौंप दिया था। तब से ही इस भूमि पर वादीया का ही बतौर खातेदार काश्तकार के कब्जा व हक व अधिकार चला आ रहा है। नकल पंजीबद्ध बेचाननामा इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त भूमि को आगे वाद-पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा। उक्त वाद-पत्र भूमि के खातेदार हजारी पुत्र किशना द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के उक्त भूमि वादीया को बेचान की थी। जिस पर वादीया ने हल्का पटवारी-कुडकी से माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख के नामान्तरण की कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी-कुडकी द्वारा नामान्तकरण संख्या 1301 पटवार हल्का-कुडकी से दिनांक 24/01/2007 को स्वीकृत करवाया था एवं इस नामान्तरण के जरिये भूमि वादीया के नाम दर्ज किये जाने बाबत नामान्तकरण की कार्यवाही हो गई थी। नकल नामान्तकरण संख्या 1301 इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। वादग्रस्त भूमि का बेचाननामा वादीया के पक्ष में लिखे जाने व नामान्करण की कार्यवाही होने के बाद माफिक नामान्तकरण संख्या 1301 के हल्का पटवारी-कुडकी का यह दायित्व था कि वह इस नामान्करण का उल्लेख राजस्व रेकर्ड यानि चालू जमाबंदी में करे, लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने ऐसा नही किया। इस वजह से भूमि जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में विक्रेता हजारी के नाम यथावत रह गई थी। तत्पश्चात हजारी का देहान्त हो गया था। देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1478 के द्वारा हजारी के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई, जो कि कतई गलत व विधि विरूद्ध है, वादग्रस्त भूमि पूर्व में ही हजारी द्वारा वादीया का बेचान की जा चुकी थी तथा प्रतिवादीगण के नाम की गई प्रविष्ठि रोंग एन्ट्री की तारीफ में आती है। माफिक बेचान विलेख एवं नामान्करण संख्या 1301 के द्वारा वादीया राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर के अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। इसी बाबत यह वाद-पत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादीया की कब्जासुदा हक सुदा व खरीदसुदा है, जिस पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। भूमि पूर्व में ही वादीया को हजारी द्वारा बेचान की जा चुकी थी। राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत चल रहा हैं, जिसे वादीया जरिये दुरूस्ती के हटाने की अधिकारीणी है। इस बाबत वादीया ने गाँव-कुडकी में दिनांक 11/6/2015 को आवेदन किया, जिस पर उन्होंने इस बाबत कार्यवाही हेतु न्यायालय में कार्यवाही कने हेतु हिदायत दी, तब इन परिस्थितियों में वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया है। वादग्रस्त बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादीया ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की है एवं मौके पर कब्जा भी प्राप्त किया हुआ है एवं इस बाबत वादीया के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही भी हो रखी हैं। परन्तु माफिक नामान्तरकरण के चौशाला जमाबंदी में हल्का पटवारी ने वादीया का नाम दर्ज नही किया है। इसी आधार पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने की वज हो रही है एवं भूमि को जरिये रहन बेचान के अन्य हस्तान्तरण करना चाहते है। दिनांक 05/07/2015 को प्रतिवादीगण ने वादीया को इस भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी, यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी वं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता है। तब वादीया प्रतिवादीयागण के ऐसा अवेधानिक कार्य का विरोध करेगी जिससे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मौके पर विवाद होगा एवं गल्तीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी, तब वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 18 तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिनके विरुद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में हल्का पटवारी ने दिनांक 11/06/2015 को रेकर्ड दुरुस्ती करने से इन्कार करने पर वादीया द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की जिस पर वादीया का यह वाद-पत्र अतिशीघ्र पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीया का वादपत्र भी आवश्यक प्रकृति का है इसलिए नोटिस देना डिस्पेंन्सविथ कर यह वाद-पत्र लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 11/06/2015 को हल्का पटवारी द्वारा को रेकर्ड दुरुस्ती कराने का कहने पर वादीया द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की व इस बाबत न्यायालय में वाद पेश करने का कहने पर बमुकाम कुडकी पटवार हल्का-कुडकी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 व 12, 13, 14, 15, 16, 17 से ईकबालिया जबाबदावा पेश किया गया। वादीया ने जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जमीन क्रय की गई थी। वादीया के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही हो चुकी हैं। माफिक नामान्तरकरण के चौशाला जमाबन्दी में हल्का पटवारी ने वादीया का नाम दर्ज नहीं किया गया। नामानतरकरण स्वीकृत होने से वर्तमान जमाबन्दी में नाम नहीं आने से वादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-कुडकी, पटवार हल्का-कुडकी तहसील-जैतारण में हजारी पुत्र किशना जाति-रेगर की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 5-13 बीघा, किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। विक्रेता हजारी पुत्र किशना के वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड से हटया जावें। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/12/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ0 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम- जैतारण

बइजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीया :-

1. सीतादेवी पत्नी डूंगरराम
जाति-मेघवाल, उम्र-82
निवासी-पालियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. टीकाराम पुत्र हजारी
2. गीता पुत्री हजारी
3. भंवराई पत्नि रमजी
4. केसूराम पुत्र रमजी
5. अशोक पुत्र रमजी
6. महेन्द्र पुत्र रमजी
7. संतोष पुत्री रमजी
8. कान्ता पुत्री रमजी
9. पेवरी पुत्री रमजी
10. मतूडी पुत्री रमजी
11. मुन्नी पुत्री रमजी
12. राकुडी पत्नि प्रभू
13. नौरत पुत्र प्रभू
14. रमेश पुत्र प्रभू
15. तारा पुत्री प्रभू
16. गौमती पुत्री प्रभू
17. शारदा पुत्री प्रभू

प्रतिवादीगण केसूराम, अशोक,
महेन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती
वलिया माता भंवराई पत्नि रमजी
जातियान-रेगर,निवासीगण-कुड़की
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

18. तहसीलदार जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0: 382/2015

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 136

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-कुडकी, पटवार हल्का-कुडकी तहसील-जैतारण में हजारी पुत्र किशना जाति-रेगर की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 5-13 बीघा, किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। विक्रेता हजारी पुत्र किशना के वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड से हटया जावें। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... बीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/12/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	06	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	-	मुत्फरिक		
मिजानः-	10	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाय गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner